International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 5, May- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

पश्चिमी उ०प्र० के अतिथि सत्कार उद्योग पर माल एवं सेवा कर का प्रभाव

Rajat Pratap Singh
Research scholar
I.P. College Bulandshahr.
Prof. Amit Sharma
convener , Research Advisory Committee
C.C.S University Meerut

सार

जीएसटी कार्यान्वयन पर भारतीय उद्योग की प्रतिक्रिया ज्यादातर सकारात्मक थी, जिससे इसकी उम्मीदें जगी थीं निकट भविष्य में नियमों का और सरलीकरण तथा दरों का एकीकरण। आतिथ्य उद्योग, जैसे भारतीय थ्यवस्था में हर दूसरे क्षेत्र को वैट विलासिता कर और सेवा के रूप में कई करों का भुगतान करना पड़ता था पिछली वैट व्यवस्था के तहत कर। भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई का निम्नलिखित बयान यह स्पष्ट रूप से हमारे उद्योग की मानसिकता को दर्शाता है। कभी-कभी बाद में, सरकार को एकमत होने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए या दो दरेंयह भी महत्वपूर्ण है कि अधिकांश वस्तुएँ और सेवाएँ मानक दर के अंतर्गत आनी चाहिए और केवल 28% की उच्च दर पर जाने के लिए अपवाद के रूप में। जीएसटी एक बेहतर और आसान नियम और कानून है और लागत और अनुपालन में वृद्धि हुई। जीएसटी का मुख्य विचार मौजूदा करों जैसे मूल्य वर्धित कर उत्पाद शुल्क सेवा कर और बिक्री कर को प्रतिस्थापित करना है। जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होता दिख रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक होने के नाते भारत विभिन्न करों के लगाने और संग्रह के लिए संघीय कर प्रणाली का पालन करता है। आतिथ्य उद्योग में अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए और वसूले गए, जिसका इस उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ा। माना जाता है कि जीएसटी कर प्रणाली भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जीएसटी में 17 कर शामिल हैं(जैसे वैट बिक्री कर सीएसटी आदि जीएसटी भारत में सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक है जो लंबे समय से लंबित है। उम्मीद है कि जीएसटी मौजूदा कर ढांचे के व्यापक प्रभाव को संबोधित करेगा और इसके परिणामस्वरूप देश आर्थिक रूप से एकजुट होगा। यह पेपर भारत में आतिथ्य क्षेत्र पर जीएसटी के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। इस शोध में हमें पता चला कि शुरुआत में इसने इस उद्योग में काफी अशांति पैदा की लेकिन अब संशोधन लाकर इसे स्थिर कर दिया गया है।

मुख्य शब्द: जीएसटी कर, आतिथ्य उद्योग, भारत

परिचय

पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत, भारतीय आतिथ्य उद्योग वैट, विलासिता कर और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। लेकिन जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत के साथ, भारतीय आतिथ्य उद्योग को पूरे देश में मानकीकृत और समान कर दरों का लाभ मिलने की उम्मीद है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेहतर इस्तेमाल का फायदा भी इंडस्ट्री को मिल सकता है उम्मीद है कि जीएसटी से ग्राहकों के लिए लागत कम होगी, करों में सामंजस्य आएगा और साथ ही व्यापार लागत कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से शहरीकरण, पश्चिमी जीवनशैली के प्रति बढ़ती जागरूकता, महिला सशक्तिकरण के दौर से गुजर रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई जिसने होटल और रेस्तरां उद्योग के विकास को बढ़ाने में योगदान दिया है। जीएसटी लागू होने से निकट भविष्य में उद्योग जगत में तेजी आने की उम्मीद है।

भारत के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी ने आतिथ्य उद्योग पर भारी प्रभाव डाला है, चाहे आप एक छोटा गेस्टहाउस चलाते हों या एक बड़ा लक्जरी होटल। जैसा कि हम आतिथ्य उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं आजकल होटल उद्योग द्वारा पहले प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची में कई सेवाएँ जोड़ी गई हैं।

नए अनुपालन मॉडल को समायोजित करने के लिए, व्यवसाय अभी भी अपने मौजूदा सिस्टम में आवश्यक परिवर्तनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हमारे पास जीएसटी है। इस नोट पर हम आपके लिए उस चीज़ पर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 5, May- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अपना प्रभाव विश्लेषण लेकर आए हैं जो हमारे पेट के बजाय हमारे लिए बहुत करीब और प्रिय है - रेस्तरां और खाद्य उद्योग। आवास और मनोरंजन सेवाओं, लेखांकन भोजन और पेय, कार्यक्रम प्रबंधन और सबसे ऊपर अतिथि संतुष्टि को शामिल करने वाला एक बहुमुखी क्षेत्र आतिथ्य उद्योग है, इस उद्योग के लिए बाजार के नवीनतम अपडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अनिवार्य आवश्यकता है। और सर्व-समावेशी प्रौद्योगिकी समाधानों की तलाश करें जो उन्हें अपने होटलों और रेस्तरां को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद कर सकें। जब उपयोगिता व्यापक होती है तो कराधान और सरकारी अधिकारियों की अन्य बाध्यताओं के प्रति जोखिम अधिक होता है। भारतीय आतिथ्य उद्योग ढेर सारे करों और कई उच्च भुगतान वाली सेवाओं को रास्ता देता है। इसलिए, आतिथ्य उद्योग को जीएसटी अनुरूप होटल सॉफ्टवेयर के साथ तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि भारत जीएसटी के लिए तैयार है। जीएसटी का प्रभाव दूर तक जाएगा, निर्माता और आपूर्तिकर्ता से लेकर वितरक और उपभोक्ता तक हर कोई यात्रा क्षेत्र के साथ देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकेगा होटल उद्योग भारत में सबसे तेजी से बढ़ते डोमेन में से एक है। 2016 के अंत तक इसका मूल्य 1362 बिलियन डॉलर था। ग्राहकों के लिए लागत कम करके कई करों को एक कर मूल्य में समेकित करके और संबंधित व्यवसाय मालिकों के लिए लेनदेन लागत कम करके माल और सेवा कर(जीएसटी के कार्यान्वयन से मदद मिलेगी। होटल और यात्रा उद्योग बड़े पैमाने पर। हालाँकि इन परिणामों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं।

उद्देश्य

1. भारत में आतिथ्य उद्योग पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण करना।

आतिथ्य उद्योग पर जीएसटी का प्रभाव

भारत में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग के 2017 में 15.24 लाख करोड़ रुपये(234.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2028 तक 32.05 लाख करोड़ रुपये (492.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। जीएसटी के कार्यान्वयन से लागत कम करके इस क्षेत्र को मदद मिली है। ग्राहक, करों में सामंजस्य बनाना और व्यापार लेनदेन लागत को कम करना लेकिन चुनौतियों का अपना सेट है। इस लेख में हम आतिथ्य और पर्यटन उद्योग पर जीएसटी के प्रभावों को देखेंगे। जीएसटी अवधि में, आतिथ्य उद्योग को मानकीकृत और तय कर दरों का लाभ मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी का उपयोग सरल और बेहतर हो गया है। मानार्थ भोजन (कमरे के साथ मुफ़्त नाश्ता जिस पर जीएसटी प्रणाली के तहत एक बंडल सेवा के रूप में वैट के तहत अलग से कर लगाया गया था। होटलों पर जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव, अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत में कमी आएगी, जिससे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और इस उद्योग में व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके विपरीत, इससे सरकार का राजस्व संग्रह भी बढ़ेगा। भारत में अधिकांश होटल एक गतिशील मूल्य निर्धारण नीति का पालन करते हैं, जहां वे एक निश्चित मौसम में अपेक्षित पर्यटकों की संख्या के अनुसार मैन्युअल रूप से टैरिफ तय करते हैं। इसलिए, टैरिफ मांग और आपूर्ति बलों के अनुसार बदलता रहता है। चूंकि जीएसटी दरें अलग-अलग टैरिफ स्तरों के लिए अलग-अलग होती हैं, इसलिए होटलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रैवल एजेंसियों और ऑनलाइन एग्रीगेटर्स सहित वितरण चैनलों में कमरे के टैरिफ के अनुसार कर की दर में भी बदलाव करे। बिलिंग सिस्टम में ऐसे बदलाव करने में कुछ समय लग सकता है।

आतिथ्य उद्योग और इसके करों की विविधता

आतिथ्य उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था के हर दूसरे क्षेत्र की तरह पिछली वैट व्यवस्था के तहत वैट विलासिता कर और सेवा कर के रूप में कई करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यदि होटल के कमरे का टैरिफ 1,000 रुपये से अधिक हो गया है तो 15% सेवा कर के लिए उत्तरदायी था लेकिन टैरिफ मूल्य पर 40% की कमी की अनुमति दी गई थी इस प्रकार सेवा कर की प्रभावी दर 9% तक कम हो गई थी। मूल्य वर्धित कर 12% से 14.5% के बीच है और विलासिता कर उपरोक्त टैरिफ पर लागू होगा। हालाँकि, रेस्तरां के लिए 60% की कटौती की गई थी जिसका मतलब था कि 12% से 14.5% के वैट के अलावा एफ एंड बी बिलों पर 6% की प्रभावी दर से सेवा कर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 5, May- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

लगाया गया था। सामाजिक समारोह सेमिनार विवाह आदि जैसी समूह सेवाओं के बिलों पर 30% की छूट के साथ कर लगाया गया। वैट व्यवस्था का अव्यवस्थित प्रभाव, जहां अंतिम उपभोक्ता कर पर कर का भुगतान करता है अंतिम लागत को बढ़ाता है। होटल व्यवसायियों और आतिथ्य व्यवसायों को उनके द्वारा भुगतान किए गए करों पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था क्योंकि सेवा कर जैसे केंद्रीय करों को राज्य करों (वैट के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता था और इसके विपरीत भी।

जीएसटी का महत्व

जीएसटी अधिनियम और दरों की शुरूआत के बाद; आतिथ्य क्षेत्र द्वारा भुगतान किए गए करों में प्रभावी कमी देखी जा सकती है। यह खंड अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लाभों को प्राप्त करने के लिए खड़ा है। ग्राहकों के लिए अंतिम लागत को कम करते हुए एक समान और मानकीकृत एकल कर दरों ने जीएसटी के अनुपालन को इतना आसान बना दिया है। इस प्रकार, आतिथ्य क्षेत्र अब पहले से कहीं अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। इससे सरकारी राजस्व में भी सुधार हुआ है, जिससे केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की खूबियों को खंड के दीर्घकालिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना दिया गया है।

प्रशासनिक सहजता

जीएसटी सेवा कर वैट जैसे कई अन्य करों को खत्म कर देगा जिससे प्रक्रियात्मक कदमों में कमी आएगी और कराधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की अधिक संभावना होगी। इस क्षेत्र में बहुत सारी सेवाएँ एक बंडल के रूप में आती हैं। इस प्रकार यह देखना होगा कि क्या प्रदान की जा रही सेवाएँ समग्र प्रकृति की हैं या मिश्रित आपूर्ति की हैं। जीएसटी कानून के तहत समग्र और मिश्रित आपूर्ति दोनों को अलग-अलग परिभाषित किया गया है।

उपभोक्ताओं के लिए स्पष्टता

आम जनता के लिए मूल्य वर्धित कर और मनोरंजन कर के बीच अंतर करने में कभी-कभी समय लगेगा। लेकिन जीएसटी प्रणाली में खरीदारों को उनके बिल पर केवल एक शुल्क दिखाई देगा और इससे उन्हें उस कर की स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी जो वे चुका रहे हैं।

इनपुट टैक्स की उपलब्धता

पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के लिए जीएसटी का दावा करना और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी प्राप्त करना आसान हो जाएगा और उन्हें अपने इनपुट पर पूरा आईटीसी मिलेगा। जीएसटी से पहले, भोजन सफाई आपूर्ति आदि के लिए कच्चे खाद्य पदार्थों के इनपुट पर भुगतान किए गए कर को बिना किसी जटिलता के आउटपुट के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता था। हालाँकि जीएसटी प्रणाली में यह आसान हो जाएगा।

राज्य का राजस्व

जीएसटी के कारण जिन राज्यों में पर्यटकों के लिए अधिकतम पर्यटक स्थल, होटल या रेस्तरां हैं, वे एसजीएसटी द्वारा अधिकतम राजस्व अर्जित करेंगे जो सीजीएसटी के बराबर होगा। इसलिए, यदि दरें 9% (यानी 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी आती हैं तो उनके कुल राजस्व में भी काफी वृद्धि होगी। के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक स्थानीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या वाले शीर्ष 5 राज्य तमिलनाडु उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और दिल्ली और राजस्थान हैं। तो इन राज्यों का राजस्व बढ़ेगा।

तकनीकी बोझ में वृद्धि

जब पहली बार सेवा कर लागू किया गया था तब बहुत सारी गड़बड़ियाँ थीं। लेकिन जीएसटी में बहुत स्पष्ट दिशानिर्देश हैं कि प्रत्येक उद्योग को अपने खातों को कैसे प्रबंधित करना है और रिटर्न दाखिल करना है लेकिन इसके लिए व्यवसायों को तकनीकी रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता होगी, जिससे अनुपालन के लिए तकनीकी बोझ और लागत बढ़ जाएगी।

बढ़ी हुई लागत

उदाहरण के लिए भारत में पहले होटल के कमरों पर 19% और भोजन और पेय पर 18.5% कर लगता था। यहां

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 5, May- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तक कि जीएसटी 18% लगने पर भी दोनों मामलों में लागत में न्यूनतम कमी आई है। व्यवसाय अपने ग्राहकों से प्रौद्योगिकी और नई प्रणालियों की अतिरिक्त लागत वसूलने पर भी ध्यान देंगे, जिससे कुछ मामलों में टैरिफ में वृद्धि हो सकती है।

एशियाई समकक्षों के साथ समानता का अभाव

भारत वैश्विक आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में बड़े खिलाड़ियों में से एक है हमें वैश्विक दरों के बराबर सेवाओं की आवश्यकता है। लेकिन जापान और सिंगापुर जैसे हमारे एशियाई पड़ोसियों के आतिथ्य क्षेत्र के लिए कर की दरें बहुत कम हैं, जैसे कि क्रमशः 8% और 7%, जो पर्यटकों की इच्छा सूची में उनके उच्च स्थान पर होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत एक वैश्विक पर्यटन केंद्र है, लेकिन इन उच्च दरों के कारण यह अभी भी यात्रियों से वंचित है।

जीएसटी से पहले आतिथ्य क्षेत्र

जीएसटी से पहले के युग में होटल उद्योग राज्यों और केंद्र सरकारों को 2500 रुपये से कम कमरे की दरों पर जीएसटी पर अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता था। होटल उद्योग को पांच अलग-अलग करों का भुगतान करना पड़ता था - सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), आईटीसी क्रेडिट और लक्जरी कर। बेशक, जीएसटी अनुपालन एक महंगा और बोझिल मामला था। होटल, रेस्तरां, बार, कैंटीन आदि के लिए अलग-अलग अनुपालन अवधि थी। साथ ही, अनुपालन के लिए कई कर भी थे, प्रत्येक की अपनी अनुपालन तिथि और गति बनाए रखने के उपाय थे। इसके अलावा, आईटीसी क्रेडिट उपलब्ध नहीं थे क्योंकि राज्य और केंद्र सरकारें एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकती थीं। इसलिए, करदाताओं को होटल आवास पर वास्तविक जीएसटी की तुलना में करों पर अधिक कर मिला।

आतिथ्य क्षेत्र पर जीएसटी क्षेत्र का प्रभाव

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से उम्मीद है कि आतिथ्य क्षेत्र के राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आतिथ्य क्षेत्र से भी रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।अतीत में, अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली प्रभावी थी, जहां भारतीय आतिथ्य क्षेत्र पर वैट, विलासिता कर और सेवा कर जैसी विभिन्न अप्रत्यक्ष कर दरें लागू होती थीं। नई जीएसटी व्यवस्था के तहत, सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक दर से कर लगाया जाता है। इसलिए, संपूर्ण आतिथ्य क्षेत्र समान कर दर के अधीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा. परिणामस्वरूप, सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अधिक खर्च कर सकती है।

जीएसटी और आतिथ्य क्षेत्र को समझना

जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की दर आपूर्ति की गई वस्तु या सेवा के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कार खरीदते हैं, तो आपके खरीद मूल्य में उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों शामिल होंगे। हालाँकि, जब आप वही कार बेचते हैं तो बिक्री मूल्य का केवल जीएसटी हिस्सा लिया जाएगा।

आतिथ्य क्षेत्र की बात करें तो यह स्पष्ट है कि जीएसटी आतिथ्य उद्योग के हर पहलू पर लागू होता है। अंतिम उपयोगकर्ताओं की कम लागत के कारण आतिथ्य उद्योग पर जीएसटी का प्रभाव सकारात्मक है, और व्यवसाय अधिक पर्यटकों और ग्राहकों को आकर्षित करने की संभावना है। इसके अलावा, इस प्रणाली से सरकारी राजस्व को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस व्यवस्था का दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक होगा, जबकि ग्राहकों और होटलों को समाप्त नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए कर प्रणाली कम हो जाएगी।

आतिथ्य क्षेत्र पर जीएसटी के लाभ

वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, आतिथ्य क्षेत्र पर जीएसटी का समग्र प्रभाव सकारात्मक है। हालाँकि, आतिथ्य क्षेत्र के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 5, May- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सामने आने वाली कुछ चुनौतियों में जीएसटी लागू करने के संबंध में स्पष्टता की कमी, एकीकृत ई-वे बिल की अनुपस्थिति और रिटर्न दाखिल करने में पारदर्शिता की कमी शामिल है।
अनेक करों को हटाकर, और कराधान पर व्यापक प्रभाव डालकर, कराधान को कम और सरल बनाया जा सकता है। अंतिम ग्राहकों को पेय पदार्थ, भोजन और होटल शुल्क पर कई करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।आतिथ्य उद्योग के लिए कर प्रसंस्करण और गणना को सरल और तेज बना दिया गया है। कराधान पहले उपभोक्ताओं के लिए जटिल था, और वे कर संरचना की सही पहचान नहीं कर पाते थे। एकीकृत कर प्रणाली के साथ, अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कर संरचना की जांच करना और समझना आसान हो गया है। आतिथ्य उद्योग इनपुट क्रेडिट पर कर का लाभ उठा सकता है। होटल आउटपुट टैक्स का भुगतान करते समय इनपुट पर पहले से भुगतान किए जाने वाले कर को कम कर सकते हैं।

निष्कर्ष

यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आतिथ्य क्षेत्र में जीएसटी से खाद्य और पेय पदार्थों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों को सबसे अधिक फायदा हुआ है। रेस्तरां उद्योग पर उच्च और एकाधिक करों का बोझ था। पहले खाद्य और पेय पदार्थ बिल में कई घटक होते थे बिल 30-35% तक बढ़ जाएगा। एकल-स्लैब कर, जीएसटी, उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर रहा है और कुल बिल पर 10-15% तक की बचत कर रहा है। हालाँकि, शराब को जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे छूट देने से एक समान एकल कर संरचना लाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यहराज्यों को अलग-अलग लेखांकन आवश्यकताओं के साथ बिना किसी सीमा के अपने स्वयं के कर लगाने की अनुमति देता है और इसके परिणामस्वरूप रेस्तरां के लिए दोहरा अनुपालन होता है होटल उद्योग शराब कराधान की यह अवधारणा न तो व्यवसाय करने में आसानी के लिए फायदेमंद है और न ही ग्राहकों के लिए हर कोई करों के एकीकरण को पसंद करता है क्योंकि इससे अधिक पारदर्शिता आती है और मेहमानों और खरीदारों को समग्र लागत समझने में मदद मिलेगी। हम विकास का स्वागत करते हैं उन्होंने कहा। राज राणा सीईओ दक्षिण एशिया होटल समूह कार्लसन रेजिडोर के लिए।

संदर्भ

1. जयवर्धने सी पोलार्ड ए चोर्ट वी चोई सी और किबिचो डब्ल्यू (2013। कनाडाई पर्यटन में रुझान और स्थिरता
2. अतिथ्य उद्योग। विश्वव्यापी आतिथ्य और पर्यटन विषय-वस्तु 5(2 132-150।
3. कुमार पी वस्तु एवं सेवा कर-एक भारत एक बाजार। जर्नल ऑफ़ ग्लोबल रिसर्च एंड एनालिसिस 6 111।
4. कर्ट्ज़मैन जे (2005। आर्थिक प्रभाव खेल पर्यटन और शहर। जर्नल ऑफ स्पोर्ट टूरिज्म 10(1 47-71।
5. साहा एम एस(2011। बैलेंस स्कोरकार्ड के माध्यम से प्रदर्शन माप-हाल के रुझान मुद्दे
6. और भारतीय कोर क्षेत्र प्रबंधन में चुनौतियाँ। लोग
7. https://www.hindustantimes.com/
8. http://www.thehindu.com/